प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक जुलाई 21, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 252 वाहनों का चालान किया गया तथा 15 वाहन से 16500/- रु0 का समन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजेन्द्र साहनी पुत्र रामजी नि0 कस्बा खुर्द थाना घुघली जनपद महराजगजं के कब्जे से 16 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता मंशा देवी पत्नी गुलाब चन्द नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र लालजी नि0 मोडिया बाजार थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अमोहवा पुत्र नन्दलाल नि0 परसामलिक थाना परसामलिक जनपद महराजगंज के कब्जे से 17 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त लालचन्द यादव पुत्र शैलेन्द्र नि0 नरायनपुर थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 450 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं076/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. सदरे आलम उर्फ करन पुत्र अजीमुल्लाह 2. अमजद अली पुत्र शाकिर 3.नेफाज पुत्र किलाश नि0 गण बासपार बेजौली थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 287/22 धारा 13 जुआ अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नितेश पुत्र केशरलाल नि0 चौमुखा थाना घुघली जनपद महराजगंज के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

एनडीपीएस एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त 1.जलाल अहमद पुत्र मकबूल नि0 बंजरहा सोनबरसा थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज के कब्जे से प्रतिबंधित दवाएं व सिरप बरामद कर थाना नौतनवां पर मु0अ0सं0 137/22 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 20/21.07.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 45 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।